जबरन बेदखली क्या है?

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति (सीईएससीआर) ने जबरन बेदखली को इस तरह परिभाषित किया है-

''व्यक्तियों, परिवारों अथवा समुदायों को उनके घरों तथा भूमि से, जिसमें वे काबिज हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध कानूनी व अन्य सुरक्षा के उचित अवस्थापना के बिना तथा उचित प्रावधानों के बिना स्थाई व अस्थाई रूप से हटा देना।

विकास आधारित बेदखली व विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांत एवं दिशा-निर्देश (2007) जबरन बेदखली को इस प्रकार परिभाषित करते हैं-

''ऐसी कार्यवाहियां या भूलें जिनमें व्यक्तियों, समूहों तथा समुदायाेंं को उनके घरों, और या भूमि तथा आम संपत्ति संसाधनों, जिनमें वे काबिज थे या जिन पर उनकी निर्भरता थी, से जबर्दस्ती या अनिच्छुक तौर पर विस्थापन जबरन बेदखली में शामिल हैं। इस तरह की कार्यवाहियां किसी व्यकित, समूह या समुदाय की कार्यक्षमता को कम करती हैं जब उनको किसी विशेष प्रकार के आवास और वातावरण में बिना किसी कानूनी प्रावधान और संरक्षण के रहने को विवश किया जाता है।

इसके अतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 मेंं दो फैसलों में यह स्वीकार करते हुए टिप्पणी की कि-

''जबरन बेदखली के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन होता आया है और लगातार जारी है।

मलिन बसितयों तथा झुग्गी वासियों से संबंधित जबरन बेदखली के पूर्व में लिए गये अदालती निर्णयों के अनुभव एवं उदाहरण दिल्ली शहर में भरे पड़े हैं। असहाय और परेशान नागरिकों को जबरन उनके आशियानों से बेदखल कर बरबाद कर दिया गया और उस पर राज्य के लम्बे हाथ कानूनी परिभाषाओं की अत्यधिक तकनीकी व्याख्या करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों एवं सुधारों की आड़ लेते हैं जिससे अवैध कब्जों प्रभावितों को हटाये जाने की कार्यवाही कानूनन जायज ठहरायी जाती है, जबकि शहर में कई अवैध निर्माणों को तथा नियम विरुद्ध काबिज लोगों को नियमित और सुरक्षित कर दिया जाता है।